

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)  
8<sup>TH</sup> LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14(5)/LA-2011/(ii) *law/103*

Dated 31 the March, 2011

NOTIFICATION

No.F.14(5)/LA-2011/(ii) *law/103*

National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 31<sup>st</sup> March, 2011 and is hereby published for general information:-

**"THE DELHI APPROPRIATION (NO. 2) ACT, 2011  
(DELHI ACT 05 OF 2011)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 28<sup>th</sup> March, 2011)

[31<sup>st</sup> March, 2011]

An Act to authorize payment and appropriation of sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services of the financial year 2011-2012

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty - second Year of the Republic of India as follows:-

**Short title.**

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.2) Act, 2011.
2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column(5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees twenty seven thousand sixty seven crore only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2011-2012 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.
3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

**Appropriation.**



**THE SCHEDULE**  
**(See sections 2 and 3)**

(Rs. in thousands)  
 SUMS NOT EXCEEDING

	Services and Purposes	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		2	3	4	5
1	Legislative Assembly	Revenue	118600	6100	124700
2	General Administration	Revenue	1378300	92300	1470600
3	Administration of Justice	Revenue	3214900	1064800	4279700
4	Finance	Revenue	1943350	50	1943400
5	Home	Revenue	2910900	3300	2914200
6		Capital	5000	0	5000
7	Education	Revenue	38433750	2350	38436100
8		Capital	2757500	0	2757500
9	Medical and Public Health	Revenue	24806745	4355	24811100
10		Capital	200000	0	200000
11	Social Welfare	Revenue	19261432	0	19261432
12		Capital	18810000	0	18810000
13	Industries	Revenue	1039768	350	1040118
14		Capital	183500	0	183500
15	Development	Revenue	3709600	1050	3710650
16		Capital	2380500	500	2381000
17	Urban Development and Public Works	Revenue	60949700	400	60950100
18		Capital	46367000	0	46367000
19	Public Debt.	Revenue	0	30000000	30000000
20		Capital	0	11000000	11000000
21	Loans to Government Servants	Capital	23900	0	23900
22	Total		228494445	42175555	270670000



*D. A. M. R. A. M.*  
*31.3.11*  
 (Taran Sahrawat)  
 Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

दिल्ली राजपत्र के भाग – 4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)  
8 वाँ तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली – 110002

सं0 ० १४(५) / एलए-२०११ / (ii) / Waw/103

दिनांक ३१ मार्च, २०११

### अधिसूचना

सं0 ० १४(६) / एलए-२०११ / (ii) / Waw/103 उप-राज्यपाल, दिल्ली की दिनांक ३१ मार्च, २०११ को दिल्ली अनुमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

“दिल्ली विनियोग (संख्या २) अधिनियम, २०११  
(२०११ का दिल्ली अधिनियम संख्या ५)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा २८ मार्च, २०११ को यथा पारित)

[३१ मार्च, २०११]

वर्ष २०११-२०१२ से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संहिता शीर्ष ।

२७०७,००,००,०००/- रुपयों का वर्ष २०११-२०१२ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त ।

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या २) अधिनियम, २०११ है ।

२. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (५) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए सत्ताईस हजार सड़सठ करोड़ रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (२) में विनिर्दिष्ट कार्यों के संबंध में वर्ष २०११-२०१२ की अवधि के दौरान भुगतान की रूप में प्रयुक्त होगी ।

३. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी ।

विनियोजन ।

## अनुसूची

(रूपये हजारों में)

राशि इससे अधिक नहीं

मांग संख्या	सेवायें एवं उद्देश्य	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधि पर भारित	जोड़
1	2	3	4	5
1. विधान मण्डल	राजस्व	118600	6100	124700
2. सामान्य प्रशासन	राजस्व	1378300	92300	1470600
3. न्याय प्रशासन	राजस्व	3214900	1064800	4279700
4. वित्त	राजस्व	1943350	50	1943400
5. गृह	राजस्व	2910900	3300	2914200
	पूँजी	5000	0	5000
6. शिक्षा	राजस्व	38433750	2350	38436100
	पूँजी	2757500	0	2757500
7. विकित्सा व जन स्वास्थ्य	राजस्व	24806745	4355	24811100
	पूँजी	200000	0	200000
8. समाज कल्याण	राजस्व	19261432	0	19261432
	पूँजी	18810000	0	18810000
9. उद्योग	राजस्व	1039768	350	1040118
	पूँजी	183500	0	183500
10. विकास	राजस्व	3709600	1050	3710650
	पूँजी	2380500	500	2381000
11. शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व	60949700	400	60950100
	पूँजी	46367000	0	46367000
सार्वजनिक ऋण	राजस्व	0	30000000	30000000
	पूँजी	0	11000000	11000000
12. ऋण	पूँजी	23900	0	23900

## तरुन सहरावत